

Participants : [Handique Shri Bijoy Krishna](#), [Sangwan Shri Kishan Singh](#)

an>

Title : Need to implement 'one rank one pension' policy to ex-soldiers.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बहुत पुरानी मांग वन रैंक, वन पेंशन, जो लाखों-लाख पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है, की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे सामने मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने ही इस हाउस में ऐलान किया था कि यह फैसला ले लिया गया है। इससे पहले सेशन में भी इन्होंने यह एश्योरेन्स दिया था कि इसके लिए कमेटी बन गई है। पिछले सेशन में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इसका फैसला हो गया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्दिक) : फैसला हो गया है।

श्री किशन सिंह सांगवान : लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में आपका एश्योरेन्स है, फिर भी आज तक यह इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। लाखों-लाख पूर्व सैनिक इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बीस साल से इस हाउस में इसके लिए मांग उठ रही है। हर सेशन में मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन कहीं भी यह इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई न कोई ऐसा शक्तिशाली अधिकारी बैठा है, जो इस फैसले के लागू होने में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। इसी विषय पर संसद में डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि वन रैंक, वन पेंशन मिलना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सिविल अपील नम्बर 5346 के द्वारा उनकी पेंशन के बारे में निर्णय दिया कि जब भी कोई पेंशन का हकदार होता है और उसमें कोई बढ़ोतरी होती है तो इन पर वह लागू होना चाहिए तथा लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद 1968 में सिविल अपील हुई, अपील नम्बर 3048 में यह निर्णय हुआ कि यदि कोई पेंशन का हकदार है और उसकी दरों में यदि कोई संशोधन होता है तो उसके ऊपर यह लागू होना चाहिए। डिफेंस कमेटी ने भी यह कह दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तथा संसद में मंत्री जी के एश्योरेन्स के बाद भी फील्ड में आज तक प्रैक्टिकली यह एप्लीकेबल नहीं हुआ [cè\[R89\]](#)।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि 'एक पेंशन एक आदमी' का जो यह फैसला हुआ है, जैसा बोल रहे हैं, इसे तुरंत 01-01-1996 से लागू करें।

MR. CHAIRMAN : You can raise only one matter.

श्री किशन सिंह सांगवान : सर, यह दूसरा भी शहीदों पर ही है। देश के लिए जो लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वे कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए हों या उसके बाद की लड़ाई में हो रहे हों या पैरा-मिलिट्री फोर्स के हों, मेरा कहना यह है कि शहीदों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो सहूलियतें कारगिल के शहीदों को मिली थीं, पैरा मिलिट्री फोर्स के लोगों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए और लगातार दो-चार-पांच लोग आतंकवादी घटनाओं की वजह से मर रहे हैं, वे लोग भी देश के लिए शहीद हो रहे हैं। शहीद तो शहीद हैं चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स का व्यक्ति हो या पुलिस का हो, ये सभी देश की रक्षा में मर रहे हैं, इसलिए सभी शहीदों को समान समझा जाए और समान सुविधाएं दी जाएं और उनके बच्चों को एक्स-ग्रेसिया के तहत नौकरी दी जाए। आज तक कभी किसी के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं किया गया। कारगिल की लड़ाई में भी ऐलान होता था कि उनके बच्चों को नौकरी देंगे लेकिन हमें विस्तार में बताइए कि कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी यही हालत है और मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में डिटेल चाहता हूँ।

SHRI B.K. HANDIQUE: Chairman, Sir, I would like to give a clarification. So far as one-rank-one-pension is concerned, already a decision has been taken by the GoM and I had informed about the same in the House. I had said it with authority. After that, it was informed to the Services officers. Now, probably the matter is in the process. It involves a huge number of ex-Servicemen. I do not remember the details now because I have left that Ministry. It takes some time to process. The decision had been announced to them and they had celebrated and congratulated themselves also.

श्री किशन सिंह सांगवान : कितने साल हो गये हैं। वे बेचारे भगवान को प्यारे हो जाएंगे, क्या तब उनके लिए कुछ किया जाएगा ?

SHRI B.K. HANDIQUE: It involves a huge number of ex-Servicemen and, therefore, it is taking time.

18.13 hrs.

(Shri Arjun Sethi in the Chair)